


22.07.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी नानकु जरिये अधिवक्ता स्वम उपस्थित आए। वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया की वादी अपना वाद पत्र आगे नही चलाना चाहते। इसलिए वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज (विद्रा) फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन स्वीकार कर वादी के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार बिश्नोई द्वारा कि गई। उक्त वादी का वादपत्र मौजूदा सूरत मे विद्रा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

